पीठासीन अधिकारियों का 81वाँ सम्मेलन

माननीय अध्यक्ष महोदय विजय कुमार सिन्हा का वर्चुअल संवाद

भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष में अमृत महोत्सव और अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन का 100वाँ वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस तथा बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी सहित देश-विदेश एवं भारत के विधायी निकायों के सभी माननीय पीठासीन पदाधिकारियों के 81वां सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष में अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ओम बिरला जी सहित देश-विदेश एवं भारत के विधायी निकायों के सभी माननीय पीठासीन पदाधिकारियों को मेरा सादर नमस्कार।

मैं लोकतंत्र की जननी भूमि बिहार से हूँ जहाँ से आजादी का बिगुल महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के नाम से शुरू किया था। यह वही बिहार है जहां गांधीजी के महात्मा बनने की नींव पड़ी। जब-जब राजनीति ने करवट बदली तब-तब उखाड़ फेंका, इसी कड़ी में बिहार की भूमि से ही जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति भी हुई, जिसने देश को नई दिशा दिखलाई।

आज बड़े ही हर्ष और गर्व का दिन है कि चार-चार सुखद संयोग एक साथ जुड़े हैं- आजादी का अमृत महोत्सव, अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन का 100वाँ वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस तथा बिहार विधान सभा भवन का शताब्दी वर्ष।

स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में ही कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरू बनेगा। उनकी भविष्यवाणी अब सच होती दीख रही है जिसके हम सभी गवाह नहीं भागीदार बनेंगे।

इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अध्यक्ष लोकसभा या अध्यक्ष विधान सभा, पूरी विधायिका के प्रयाय के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए सभी विधायी निकायों के अध्यक्षों का यह सम्मेलन विधायिका को मजबूती प्रदान करती है और उसे सार्थक दिशा देने में अहम भूमिका निभाती है।

इस 18वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का जो थीम है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए विधायिका की भूमिका हमेशा ही प्रासंगिक रही है।

संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की व्यवस्था भारत के सुचारू संचालन के लिए की गयी है। तीनों ही अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। यह समय विधायिका की विश्वसनीयता बढ़ाने का अवसर है। विधायिका अपने कर्तव्य का निर्वहन यदि संविधान प्रदत्त शक्तियों के तहत करेगी तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी को हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त नहीं होगा। मर्यादा की सीमा रेखा हमें सदैव विकास की ओर ले जाती है।

सूचना तकनीक का सहारा लेकर सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कर विधायिका ने जनता के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि विधायिका के लिए जनता ही सर्वोच्च है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र इस धारणा पर आधारित है कि लोगों को स्वशासी होना चाहिए और लोगों के प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

*विधायिका को एक राष्ट्र के लिए या एक राज्य के लिए कानून बनाने के लिए जिम्मेदार संस्थागत निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके माध्यम से लोगों या उसके हिस्से की सामूहिक इच्छा व्यक्त की जाती है और कार्यान्वित की जाती है।

* एक क्रियाशील विधायिका, कार्यपालिका और लोगों के बीच प्रभावी सेतु का काम करती है

* एक विधायिका की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राज्य के नागरिकों के साथ उसका आंतरिक संबंध है।

* एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में विधायिका लोगों के आँख, कान और आवाज के रूप में काम करती है।

* विधायिका सामूहिक निर्णय लेने की प्रणाली के तहत कार्य करती है। विधायिका की सामान्य विशेषता यह है कि सदस्यों के बीच स्वयं अधिकार और अधीनता का नहीं बल्कि समानता का है।

* कोविड-19 की संकट में विश्व व्यापी चुनौतियों से निबटने में विधायिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है।

* पूरे देश में आपदा कानून के तहत एक सूत्र में बांधने और प्रशासकीय नियंत्रण में लाकर

आपदा की चुनौतियों से लड़ने में विधायिका ने अपनी भूमिका से लोकतंत्र को मजबूत किया है।

* हमें अपनी विधायी निकायों में सार्थक विमर्श के लिए अधिक-से-अधिक प्रयास करना चाहिए तथा जनता के हित को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। यही आज का संकल्प होना चाहिए।

आज भारत के युगद्रष्टा, आधुनिक शिल्पकार तथा महान अभियंता डाॅ. विश्वेश्वरैया का जन्मदिवस भी है, जो पूरे भारत में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नये तकनीक के सहयोग से सदन की कार्यवाहियों को पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचाने पर न केवल इसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि इससे देश की लगभग दो तिहाई युवा आबादी की रूचि संवैधानिक कार्यों के प्रति बढ़ेगी तथा युवा वर्ग अपने संवैधानिक अधिकारों सहित कर्तव्यों के प्रति भी सजग होगा।

हम सब लोकतंत्र के मंदिर के सौभाग्यशाली पुजारी हैं। हमें जनता के आशीर्वाद से उनकी सेवा का मौका मिला है। यह हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि इस मंदिरके अंदर एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर इसकी पवित्रता और मर्यादा को बरकरार रखें ताकि नये सदस्य भी अपने विकारों से मुक्त होकर पवित्र भाव से प्रहरी के रूप में कार्य कर सकें।

अन्त में मैं श्री हितेन्द्रनाथ गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन जो विभिन्न विधान सभाओं में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को कार्यरूप देने के संबंध में है, अपनी सहमति देता हूं। यह बहुत ही सारगर्भित रिपोर्ट है और खासकर इस तकनीकी पहलुओं के वित्तीय प्रावधान को हर विधान सभा में प्रावधानित किये जाने के लिए जो फार्मूला बनाया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं आशा करता हूं कि लोकसभा के नेतृत्व में देश के सभी विधान सभाओं में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत स्वरूप में पायेगा।

कहने के लिए मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कई अनुभवी और माननीय लोग बैठे हैं जिनसे संवाद और सम्पर्क का अवसर आगे मिलेगा। सबके मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो रही है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि बिहार विधान सभा भवन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 82वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का दायित्व हमें सौंपे और आप सभी इस पावन अवसर पर बिहार का आतिथ्य स्वीकार करें।

इसलिए अपनी बातों को समाप्त करते हुए धैर्य से हमारी बातों को सुनकर उत्साहित किया, इसलिए आपसबों का आभार, धन्यवाद और नमस्कार।

धन्यवाद।